परिपत्र सं. 81/55/2018-माल एवं सेवाकर

फा.सं. 354/408/2018-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(कर अनुसंधान इकाई)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनाँक 31 दिसंबर, **2018**

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय कर (सभी)

महोदय/महोदया,

विषयः- लेटरल सहित छिड़काव और ड्रिंप सिंचाई पद्धति पर लगने वाले जीएसटी दर के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

अधिसूचना सं. 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची II, की प्रविष्टि सं. 195ख की व्याप्ति और क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रविष्टि सं. 195ख को अधिसूचना सं. 6/2018- केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018 को द्वारा सन्निविष्ट किया गया और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए-

क्रम सं.	**अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष / टैरिफ मद**	**अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद माल का विवरण**	**सीजीएसटी दर**
195ख	8424	लेटरल सहित छिड़काव और ड्रिंप सिंचाई प्रणाली	6%

2. कतिपय मामलों में यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह प्रविष्टि "लेटरल छिड़काव" और "छिड़काव द्वारा सिंचाई पद्धति", को शामिल नहीं करती है, जबकि यह प्रविष्टि ड्रिंप सिंचाई को शामिल करती है।

3. इस मामले को जांचा गया है। आरम्भ से ही, अर्थात 1.7.2017 से, जो भी माल एच.एस. 8424 के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं जैसे- प्रोजैक्टिंग के लिए मैकेनिकल उपकरण (हस्तचलित अथवा नहीं); द्रव्य अथवा चूर्ण के फैलाव और छिड़काव; स्प्रेगन और ऐसे उपकरण; भाप और रेत के ब्लास्टिक उपकरण और ऐसे जेट प्रोजैक्टिंग मशीन (अग्निशमन उपकरण से भिन्न, चार्ज अथवा नहीं); को 18% की श्रेणी में रखा गया है। बाद में, जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर, 'ड्रिंप सिंचाई उपकरण के नोजल और छिड़काव के लिए नोजल को 12% की श्रेणी में रखा गया है'। (प्रविष्टि सं. '195क' 22.09.2017 से प्रभावित)। सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें ड्रिंप सिंचाई प्रणाली और लेटरल को शामिल किया गया है पर जीएसटी की दर पर पुनः विचार करने के बाद सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जैसे छिड़काव, ड्रिंप सिंचाई प्रणाली जिसमें लेटरल को

शामिल किया गया है, पर जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर जीएसटी दर को 12% कर दिया गया है। तद्नुसार, उक्त प्रविष्टि 195ख को अधिसूचना सं. 1/2017- केन्द्रीय कर (दर) में रखा गया है।

3.1 सूक्ष्म सिंचाई, जिसे कभी-कभी 'स्थानीय सिंचाई', 'कम आयतन की सिंचाई', या 'बूंद-बूंद करके सींचना' कहा जाता है, ऐसी पद्धति है जिसमें पाइप नेटवर्क से कम दाब के साथ, निश्चित पैटर्न पर और प्रत्येक पौधे और उसके पास लगे पौधों पर कम मात्रा में पानी का वितरण किया जाता है। परम्परागत ड्रिंप सिंचाई जैसे वैयक्तिक उत्सर्जक, उपसतही ड्रिंप सिंचाई (एसडीआई), सूक्ष्म-छिड़काव या सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई, और मिनी बब्लर सिंचाई ये सभी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की श्रेणी में आते हैं।

4. इस प्रकार, उक्त प्रविष्टि 195ख, में दी गई परिभाषा 'छिड़कने वाला व्यक्ति', छिड़काव सिंचाई पद्धति को शामिल करती है। तदनुसार, छिड़काव पद्धति के नोजल, लेटरल और अन्य अव्यवों पर 12% की दर से जीएसटी लगेगी।

5. यदि कोई कठिनाई आती है तो बोर्ड को शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाए। हिन्दी संस्करण का अनुसरण करें।

भवदीय

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव (टीआरयू-I)